



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड ग्राम बाड़ादरहा तहसील डबरा, जिला जांजगीर चांपा द्वारा प्रकरण में वनमण्डल जांजगीर-चांपा के परिक्षेत्र सक्ती अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 779/1 के रकबा 4.88 हे. वन भूमि की 1200 मेगावाट पावर प्लांट की बाउण्ड्री के विस्तार हेतु मांग की गई है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के भाग-3 पर दिये गये अनुशंसा से सहमत होते हुए रकबा 4.880 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 17/08/2020

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर


(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-178/1531

रायपुर, दिनांक 18/08/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषय:- Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for extension of boundry wall for power plant situated at Village Badadarha District Janjgir-Champa area - 4.88 ha. regarding. (आवेदक संस्थान मेसर्स डी.बी पावर लिमिटेड, ग्राम बाड़ादरहा तहसील डबरा, जिला जांजगीर चांपा)

- पंजीयन क्रमांक- FP/CG/IND/ 40088/2019

संदर्भ:- 1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 2175 दिनांक 24.09.2019

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1557 दिनांक 04.07.2020

-00-

1. संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से जांजगीर-चांपा वन मंडल अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में पूर्व से स्थापित विद्युत संयंत्र के बाउण्ड्री वाल विस्तार हेतु राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 779/1 रकबा 4.88 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार अनुशंसा उपरांत इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

2. पूर्व में मेसर्स डी.बी पावर लिमिटेड ग्राम बाड़ादरहा तहसील डबरा, जिला जांजगीर चांपा में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत रकबा 29.907 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। यह प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को राज्य शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 5-08/2011/10-2 दिनांक 13.07.2011 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रेषित किया गया था। इसके उपरांत भारत शासन क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 26.08.2011, 22.12.2011 और 31.08.2012 से प्रेक्षाएं की गई थी अभी तक इस प्रकरण में भारत शासन से प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। आवेदक संस्थान ने उक्त प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होने के कारण वापस लेने का अनुरोध पत्र दिनांक 25.05.2020 (संदर्भ 2 के साथ संलग्न) इस कार्यालय को देते हुए पृष्ठांकन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर तथा वन मंडलाधिकारी जांजगीर चांपा को दिया है। वन मंडलाधिकारी जांजगीर चांपा के प्रतिवेदन दिनांक 23.06.2020 (संदर्भ 2 के साथ संलग्न) अनुसार रकबा 29.907 हे. राजस्व वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के संदर्भ पत्र- 2 से प्रकरण निरस्त करने की अनुशंसा भी की गई है। अतः उक्त के आधार पर कृपया मेसर्स डी.बी पावर लिमिटेड, ग्राम बाड़ादरहा तहसील डबरा, जिला जांजगीर चांपा में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत रकबा 29.907 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव को बंद करने हेतु भारत सरकार को लेख करने का अनुरोध है।

3. विषयांकित रकबा 4.88 हे. राजस्व वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण नोडल कार्यालय द्वारा किया गया। परीक्षण उपरांत चेकलिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक -1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 03 तक) – प्रकरण में वनमण्डल जांजगीर-चांपा के परिक्षेत्र सक्ती अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 779/1 के रकबा 4.88 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदक संस्थान के 1200 मेगावाट पावर प्लांट की बाउण्ड्री के विस्तार हेतु इस भूमि की मांग की गई है।

बिन्दु क्रमांक -2 प्रपत्र- I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 4 से 8 तक) – प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक – FP/CG/IND/ 40088/ 2019 दिनांक 03.07.2019 को आबंटित किया गया है। पंजीयन शुल्क रु. 6000 एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 58000 की राशि आवेदक संस्थान से प्राप्त कर कोषालय में दिनांक 18.01.2016 को जमा कर दी गई है (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 8)।

बिन्दु क्रमांक -3 वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 09 एवं 10) – जांजगीर-चांपा वन मण्डल के परिक्षेत्र सक्ती अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में पूर्व से स्थापित थर्मल पावर प्लांट के बाउण्ड्री वाल विस्तार हेतु राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) खसरा क्रमांक 779/1 में से रकबा 4.88 हे. वन क्षेत्र की आवश्यकता है। खसरा क्रमांक 779/1 का कुल रकबा 25.008 हे. है जिसमें से आवेदक संस्थान को 4.880 हे. वन क्षेत्र की आवश्यकता है।

बिन्दु क्रमांक -4 गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 11) – जांजगीर-चांपा वन मण्डल के परिक्षेत्र सक्ती अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में पूर्व से स्थापित थर्मल पावर प्लांट हेतु तहसील डभरा के ग्राम बाड़ादरहा के 1018 खसरों का रकबा 426.95 एकड़ तथा ग्राम टुण्डी के 190 खसरों का रकबा 130.84 एकड़; कुल 557.79 एकड़ निजी भूमि तथा ग्राम बाड़ादरहा के 17 खसरों का रकबा 72.21 एकड़ गैर वन शासकीय भूमि प्रभावित है।

बिन्दु क्रमांक -5 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 14 में दर्शित है) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट क्रमांक 64 ओ/ 1; 1:50,000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित विद्युत संयंत्र हेतु प्रस्तावित बाउण्ड्री वाल विस्तार चिन्हित कर संलग्न है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वन मंडल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।

बिन्दु क्रमांक -6 वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 19 तक) – प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप 1:15000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित बाउण्ड्री वाल विस्तार चिन्हित कर संलग्न है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय द्वारा जारी किया गया वन आवरण मानचित्र वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वन मंडल से प्रतिहस्ताक्षरित है।

बिन्दु क्रमांक -7 प्रपत्र -4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 20 से 23 तक) – जांजगीर-चांपा वनमण्डल में परिक्षेत्र सक्ती अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में पूर्व से स्थापित ताप विद्युत संयंत्र के बाउण्ड्री वाल विस्तार हेतु जांजगीर-चांपा वनमण्डल के सक्ती वन परिक्षेत्र के राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) खसरा क्रमांक 779/1 में से रकबा 4.88 हे. प्रस्तावित है। फौना एवं फ्लोरा की सूची भी लगायी गई है।

बिन्दु क्रमांक -8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 29 तक) – जांजगीर-चांपा वन मण्डल के परिक्षेत्र सक्ती अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में पूर्व से राजस्व भूमि पर स्थापित विद्युत संयंत्र के बाउण्ड्री वाल विस्तार हेतु जांजगीर-चांपा वनमण्डल के सक्ती वन परिक्षेत्र के ग्राम बाड़ादरहा में राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) खसरा क्रमांक 779/1 के रकबा 4.88 हे. की मांग की गई है। प्रस्ताव अनुसार 1200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट परियोजना की कुल लागत 6664.48 लाख रुपये है।

बिन्दु क्रमांक -9 वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 30 एवं 31) – आवेदक संस्थान मेसर्स डी.बी. पावर प्रा. लिमिटेड ग्राम बाड़ा दरहा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. के द्वारा समतुल्य निजी भूमि में /दुगुने राजस्व वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है, इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -10 न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 32 एवं 33) – प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -11 पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 56) – ग्राम बाड़ादरहा में परियोजना विस्तार हेतु प्रस्तावित रकबा 4.88 हे. राजस्व वन भूमि हेतु पूर्व में स्थापित 2x600 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.09.2010 द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -12 वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 57 से 60) – ग्राम बाड़ादरहा में परियोजना विस्तार हेतु आवेदित राजस्व वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई वृक्ष विद्यमान नहीं है। अतः विवरण निरंक है।

बिन्दु क्रमांक -13 कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 61) – प्रकरण में प्रभावित राजस्व वन भूमि का क्षेत्रफल 20 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -14 चयनित गैर वनक्षेत्र /निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 62 से 70 तक) – जांजगीर-चांपा वनमण्डल में परिक्षेत्र सक्ती अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में पूर्व से स्थापित विद्युत संयंत्र के बाउण्ड्री वाल विस्तार हेतु जांजगीर-चांपा वनमण्डल के सक्ती वन परिक्षेत्र के राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) खसरा क्रमांक 779/1 के रकबा 25.008 हे. में से प्रभावित रकबा 4.88 हे. के बदले धरमजयगढ़, तह. धरमजयगढ़, प.ह.न. 34 रा.नि.म. ग्राम उदउदा, खसरा क्रमांक 1123/1 के रकबा 10.00 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। खसरा का पंचशाला, खसरा नकल, मानचित्र, प्रस्ताव में संलग्न है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का अनापत्ति कलेक्टर, जिला रायगढ़ के पत्र दिनांक 23.12.2017 द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के पृ. क्र.66 बी में संलग्न है। वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ के प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है (पृ. क्र. 82)। इसके अलावा गैर वन क्षेत्र की जानकारी बिन्दु क्रमांक 4 पर दी गई है।

बिन्दु क्रमांक -15 गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 71 से 72 तक) – ग्राम बाड़ादरहा में पूर्व से स्थापित विद्युत संयंत्र के बाउण्ड्री वाल विस्तार हेतु गैर वनक्षेत्र के आसपास का नक्शा प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 13 एवं 14 में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -16 स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 73 से 86) – आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई राजस्व वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश/देशांश प्रजातिवार विवरण एवं डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट सहित) प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -17 वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 87 एवं 88) – प्रकरण में प्रभावित राजस्व वन भूमि के बदले ग्राम उदउदा, प.ह.न. 34 रा.नि.म. खसरा क्रमांक 1123/1 में से रकबा 10.00 हे. तह. धरमजयगढ़ जिला

— रायगढ़ में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गयी है। उक्त राजस्व वन भूमि वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ के प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

बिन्दु क्रमांक -18 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 89) — प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -19 अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 90) — लागू नहीं।

बिन्दु क्रमांक -20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 91) — लागू नहीं।

बिन्दु क्रमांक -21 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 92 एवं 93) — प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम उदउदा, राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 1123/1 में से रकबा 10.00 हे. प.ह.न. 34 रा.नि.म. धरमजयगढ़, तह. धरमजयगढ़ जिला — रायगढ़ में राजस्व भूमि उपलब्ध कराई गयी है। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -22 कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 94) — प्रस्तावित प्रकरण विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु बाउण्ड्री वाल निर्माण से संबंधित होने के कारण कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -23 रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 95) — प्रस्तावित प्रकरण विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु बाउण्ड्री वाल निर्माण से संबंधित होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -24 माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 219) — प्रस्तावित प्रकरण विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु बाउण्ड्री वाल निर्माण से संबंधित होने के कारण आई.बी.एम. नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -25 व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 220) — प्रस्तावित प्रकरण विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु बाउण्ड्री वाल निर्माण में प्रभावित राजस्व वन भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -26 वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 98 से 103) — जांजगीर-चांपा वन मण्डल के परिक्षेत्र सक्ती अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा में पूर्व से राजस्व भूमि पर स्थापित विद्युत संयंत्र के बाउण्ड्री वाल विस्तार हेतु जांजगीर-चांपा वनमण्डल के सक्ती वन परिक्षेत्र के राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) खसरा क्रमांक 779/1 के रकबा 4.88 हे. के लिए वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चांपा एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का प्रतिवेदन (भाग 2 एवं भाग 3) में संलग्न है। आवेदित राजस्व वन भूमि का वन घनत्व 0.2 से कम है। स्थल निरीक्षण दिनांक 13.08.2019 के आधार पर वन मंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा ने आवेदित क्षेत्र को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु देने की अनुशंसा की है तथा आवेदित रकबा 4.880 हे. बताते हुए आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों की संख्या निरंक बतायी है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर ने वन मंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा के सुझाव पर सहमति दर्शाते हुए प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

बिन्दु क्रमांक -27 ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 104) — प्रस्तावित प्रकरण ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के स्थल, मूर्ति या चिन्ह नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –28 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 105 से 107) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु बाउण्ड्री वाल निर्माण अंतर्गत पडने वाले ग्राम पंचायत – बाड़ादरहा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। अनापत्ति में यह शर्त लगायी गई है कि आवेदक संस्थान के द्वारा ग्रामवासियों के लिये सड़क, पानी, बिजली एवं रोजगार की समुचित व्यवस्था पंचायत क्षेत्र में की जायेगी।

बिन्दु क्रमांक –29 जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ 108) – जांजगीर-चांपा जिले की जांजगीर-चांपा वन मंडल में सम्मिलित आरक्षित, संरक्षित एवं आसीमांकित वन का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विवरण अनुसार वन मंडल में 250.066 वर्ग कि.मी. वन भूमि है।

बिन्दु क्रमांक –30 व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. (प्रस्ताव पृष्ठ 109) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में जांजगीर-चांपा जिले की जांजगीर-चांपा वन मंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 10 एवं प्रत्यावर्तित वन रकबा 232.894 हे. है। विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –31 व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे (प्रस्ताव पृष्ठ 110) – जांजगीर-चांपा वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसी श्रेणी के एक भी प्रकरण व्यपवर्तित नहीं हुआ है।

बिन्दु क्रमांक –32 प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 111 से 112) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु बाउण्ड्री वाल निर्माण के अंतर्गत 10 कि. मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –33 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेत प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 113) – प्रस्तावित प्रकरण ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु प्रस्तावित है। अतः प्रकरण में 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्ताव स्थलों का चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –34 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 114 से 121) – प्रस्तावित बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु कलेक्टर जांजगीर-चांपा का प्रमाण पत्र दिनांक 14.02.2019 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डभरा द्वारा सत्यापित अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के कार्यवाही विवरण की प्रति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति बाड़ादरहा का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –35 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 122 से 123) – प्रस्तावित बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु हेतु राजस्व वनभूमि प्रस्तावित है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –36 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 124 एवं 125) – आवेदक संस्थान के द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –37 Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 126 एवं 127) – वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त

अनुसार निर्धारित की जाती है तो वह राशि CAMPA निधि में तत्काल जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। आवेदक संस्थान के द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –38 “A detailed note on Soil Productivity or the lack of it” (प्रस्ताव पृष्ठ 128 एवं 129) – आवेदित वनभूमि किसी भी प्रजाति के वृक्ष नहीं है। इस क्षेत्र के मिट्टी कड़ी चिकनी, दोमट एवं बलुई है जिसमें ह्यूमस लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है इसलिये मृदा वृक्षों/वनस्पतियों के लिये सामान्य है।

बिन्दु क्रमांक –39 परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 130) – आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –40 Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 131) – प्रस्तावित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –41 पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 132) – आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/- एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 58,000/- कुल मूल्य 64000/- की राशि वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चांपा वन मंडल के पी. डी. खाता में जमा किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –42 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 133) – वन मंडलाधिकारी, जांजगीर चांपा द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना खनन प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है जिससे वन्य प्राणी परियोजना की आवश्यकता नहीं है एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी के अभिमत की भी आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –43 विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 134) – प्रस्तावित प्रकरण थर्मल पावर प्लांट विस्तार हेतु बाउण्ड्री वाल निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होता।

बिन्दु क्रमांक –44 प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 135 से 136) – प्रस्ताव में अन्य कमियां नहीं हैं। अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्तावित क्षेत्र का एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर उनके अनुशंसा से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

- संलग्न:-1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में मय डीजीपीएस रिपोर्ट
2. संदर्भित पत्र - 1 की छाया प्रति संलग्नक सहित
3. भाग-4
4. टाईम लाईन
5. संदर्भ पत्र-2 की छाया प्रति

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़